खान मत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Mine code 39UPR04001

स्पीड पोस्ट

संख्या

यूपी / एएलएम / मैग-1

100 ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून (उत्तराखंड)

दिनांक : 27.11.2015

सेवा में :

मै0 अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि0,

ग्राम-मटेला, पोस्ट-बिलौरी,

जिला-बागेश्वर-263 630 (उत्तराखण्ड)

विषय

उत्तराखण्ड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित आपकी झिरोली मैग्नेसाइट खान पर खनिज संरक्षण एवं

विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित नियमो का उल्लंघन।

महोदय.

इस कार्यालय के श्री एस0 सकलानी, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा श्री अनिल कुमार, खान प्रबन्धक, की उपस्थिति में दिनांक 29.10.2015 को आपकी उपरोक्त वर्णित खान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंधन पाया गया:-

RULE NO.

NATURE OF VIOLATION OBSERVED

13(1): Mining operations were being carried out in violation of following provisions of scheme of mining approved vide letter no. 614(2)/MSA-197/12-DDN dated 25.07.2013.

As per approved scheme of mining (page 53 of the text), it was proposed that during the year 2015-16 that benches at 1574mRL shall be developed. But during the inspection it was observed that benches at (i) 1574mRL have yet not been developed so far.

45(5(a): Monthly return for the month of October 2015 has yet not been submitted.

02. In this connection, it is brought to your notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 58 of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

03. The mining operations can be suspended under Rule 13(2), if compliance of rule 13(1) is not

found satisfactory.

04. You are advised to rectify the above violations immediately and intimate the position to this office within 45(Forty Five) days from the date of issue of this letter.

पत्र ग्रेजित किया दि० असीमाहि इस्प्रेम

(के० एस० यादव) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि -

1. खान नियंत्रक (उत्तर),भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।

निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून, (उत्तराखण्ड)